न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़
पीठासीन अधिकारीः अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0नं0 21/अपील/24 तारीख दायरा :21.06.2024

उनवान अपील

01. बीरमलाल पुत्र बरदीलाल जाति मेघवाल

02. श्यामलाल पुत्र बरदीलाल जाति मेघवाल

03. रामप्रसाद पुत्र बरदीलाल जाति मेघवाल

निवासीगण बोरदा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ राजस्थान.....अपीलार्थीगण

बनाम

01. रमेशचन्द पुत्र शिवलाल जाति पाटीदार निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा

02. बालकिशन पुत्र शिवलाल जाति पाटीदार निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा

03. ईश्वर पुत्र राधेश्याम जाति पाटीदार निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा

04. विष्णु पुत्र जगन्नाथ जाति पाटीदार निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा

05. मनोहर पुत्र जगन्नाथ जाति पाटीदार निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा

06. लालचन्द पुत्र जगन्नाथ जाति पाटीदार निवासी बोरदा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़

...रेस्पोंडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.05.2024 तहसीलदार पिड़ावा जो प्रकरण संख्या 01/2021 उनवानी चन्द्रीबाई वगैरह बनाम रमेशचन्द वगैरह में पारित किया गया है।

उपस्थित : श्री अरूण ढोटिया अभिभाषक अपीलान्ट

श्री पूरीलाल राठौर, अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट

जिला कलक्टर
झालावाड़

– :निर्णयः – दिनांकः 11.09.2024

अपील अपीलांट जर्ये अधिवक्ता पेश की गई जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व उनकी माता चन्द्रीबाई ने रेस्पोंडेण्ट्स के खिलाफ तहसीलदार पिड़ावा के यहां ग्राम बोरदा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ की आराजी खाता संख्या नया 147 के खसरा नं0 534/434 रकबा 2.0234 हेक्टेयर आराजी जो कि

अपीलांट्स के खाते की आराजी है के संबंध में एक प्रार्थना पत्र रेस्पोंडेण्ट द्वारा जबरन कब्जा करने पर अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य पर गौर न करते हुए मनमाने तौर से प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अपील में अपीलांट ने उल्लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट तलब की गई जो कि हल्का पटवारी द्वारा बिना सीमाज्ञान किये प्रस्तुत की गई तथा उसके आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित कर अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। चन्द्रीबाई का निधन हो चुका है तथा अपीलांट्स ही उसके एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी है अतः अपील पेश कर निवेदन किया है अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना,केप्रीशियस एवं परवर्स होने से अपास्त कर रेस्पोंडेण्ट को अपीलांट के खाते की आराजी से बेदखल कर अपीलांट को कब्जा संभलाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील पिड़ावा से प्रकरण से सम्बंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से वकील श्री पुरीलाल राठौर का वकालतनाम प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस उभयपक्षकारान रखी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के बिन्दुओं को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पटवारी मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है जो बिना सीमाज्ञान किये प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर किया गया है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.05.2024 अपास्त किया जाकर रेस्पोंडेण्ट को अपीलांट के खाते की आराजी से बेदखल कर अपीलांट को कब्जा संभलाया जावे।

वकील रेस्पोंडेण्ट ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार पिड़ावा द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह सीमाज्ञान व वर्तमान में मुताबिक नक्शा लट्ठा जरीब चलाकर देखने पर पता चलता है कि रेस्पो0 रमेश पुत्र शिवलाल का मकान स्वयं के खसरा नं0 434 रकबा 2.0234 हैक्टेयर पर बना हुआ है मौके पर अपीलांट की भूमि की भूमि पर किसी तरह का कब्जा नहीं है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

2/11/24
जिला कलक्टर
झालावाड़

हमने वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया, बाद अवलोकन स्पष्ट है कि तहसीलदार पिड़ावा द्वारा रिपोर्ट पटवारी दिनांक दिनांक 10.08.2023 के मुताबिक जो निर्णय पारित किया है उससे स्पष्ट है प्रश्नगत विवादास्पद आराजी पर रेस्पोंडेण्ट का कोई कब्जा साबित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2024 में किसी भी तरह का रद्दोबदल/संशोधन करना यह न्यायालय उचित नहीं समझता है अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील पिड़ावा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़